न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–13/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. मुंशी पुत्र गिरधारी जाति खटीक निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 .... अपीलांट/प्रतिवादी

बनाम

1. न्यू अरावली शिक्षा समिति कठूमर जिला अलवर राज0 जर्ये सचिव रणवीरसिंह पुत्र तुहीराम जाति जाट निवासी कठूमर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 । .... असल रेस्पो0/वादी
2. तहसीलदार कठूमर बहैसियत लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर जिला अलवर राज0 । ....तर0 रेस्पो0/प्रतिवादी

उपस्थित :–
1. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मूलचन्द चौधरी अभिभाषक असल रेस्पो0

::: निर्णय :::

दिनांक :–08.06.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.8.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी/असल रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा तकसीम व हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी ख0 नं0 1353 रकबा 1.18 है0 वाके ग्राम कठूमर तहसील कठूमर में स्थित है जो आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है, अर्थात अबट है । जिस पर वादी एवं प्रतिवादीगण शामलात में काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं । विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा है, शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 का है । वादी विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी बाबत वादी द्वारा पेश किये दावा में प्रतिवादी सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना राजीनामा पेश किया जो दावा वादी मुताबिक राजीनामा दि0 11.2.2017 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया गया व तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी के कानूनी तकासमा करने बाबत आदेशित किया गया कि वो दोनों पक्षों की मौजूदगी में विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कर विधि अनुसार कुरेजात रिपोर्ट तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें । तहसीलदार कठूमर द्वारा विवादित आराजी का कानूनी

4/8/6

तकासमा कर अपनी कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 8.8.2017 को पेश की है जो कुरेजात रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है जिस कुरेजात रिपोर्ट पर किसी पक्षकारान द्वारा कोई ऐतराज पेश नहीं किया है । अतः दावा वादी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर व रामवती पुत्री रामसिंह की सहमति पत्र दिनांक 21.4.2017 के आधार पर अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया जिन्होंने उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने बरूये राजीनामा से दि0 30.08.2017 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 30.08.2017 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि वादी/असल रेस्पो0 द्वारा दावा पेश करने के उपरात अपीलांट व असल रेस्पो0 में राजीनामा हो गया था जिसके तहत असल रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजी में से 35 फुट चौड़ा रास्ता राजीनामा में देना तय हुआ जिस ऐवज में असल रेस्पो0 द्वारा रास्ते की जमीन के बराबर जमीन अपीलांट को देना तय हुआ था । राजीनामा हो जाने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को यह कहा कि अब तुम्हें न्यायालय में आने की आवश्यकता नहीं है, राजीनामा के मुताबिक निर्णय कर दिया जावेगा लेकिन तहत न्यायालय ने मुताबिक राजीनामा वाद निर्णित व डिक्री नहीं किया । दि0 15.3.2018 को असल रेस्पो0 ने अपनी 0.58 है0 आराजी में पक्का डण्डा करने हेतु पत्थर डलवा दिये तो अपीलांट ने असल रेस्पो0 से कहा कि रास्ते की ऐवज में जमीन मुझे दो तो असल रेस्पो0 ने जाहिर किया कि मैंने तो अदालत से निर्णय कराकर रास्ता लिया है अब तुम्हें कोई जमीन नहीं दूगा ।

विवादित आराजी ख0 नं0 1353 रकबा 1.18 है0 में अपीलांट का 1/2 हिस्सा यानि 0.59 है0 है तथा रेस्पो0 असल का उक्त आराजी में 0.58 है0 है व 0.01 है0 आराजी रामवती पुत्री रामसिंह जाट की है । वादी/असल रेस्पो0 द्वारा रामवती पुत्री रामसिंह को पक्षकार नहीं बनाया गया जो आवश्यक पक्षकार थी ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अपीलांट व असल रेस्पो0 के मध्य उक्त आराजी की बाबत राजीनामा हो गया था जिस राजीनामा के तहत अंतिम डिक्री पारित की जानी चाहिए थी जिस राजीनामा तहत अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई ।

असल रेस्पो0 द्वारा अपीलांट की आराजी में से 35 फुट चौड़ा रास्ता राजीनामा में देना तय हुआ जिस ऐवज में असल रेस्पो0 द्वारा रास्ते की जमीन के बराबर जमीन अपीलांट को देना तय हुआ था परन्तु पटवारी हल्का ने राजीनामा के तहत रास्ता तो नक्शें में वर्णित कर दिया परन्तु रास्ते की ऐवज में जो जमीन अपीलांट के खाते में आनी चाहिए थी वो आराजी दर्ज नहीं की और असल रेस्पो0 को 0.58 है0 आराजी कब्जे में देना वर्णित कर दिया जिस कुरेजात के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना माईण्ड एप्लाई किये अंतिम डिक्री

गलत पारित कर दी जबकि कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर को तैयार करनी थी परन्तु पटवारी हल्का ने जो कुरेजात कायम किये है वे भी गलत है ।

इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का निवेदन किया । उन्होंने अपने समर्थन में 2017 डी.एन.जे. पेज 93, 1991 आर.आर.डी. पेज 392 व 2017 डी.एन.जे. पेज 135 पेश की ।

असल रेस्पो0 अभिभाषक ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रारम्भिक डिक्री की अपील किये बिना अंतिम डिक्री की अपील नहीं कर सकते हैं । इसलिए अपीलांट की अपील मैन्टेनेबिल नहीं है । कन्सेन्ट डिक्री की अपील नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई फ्रोड ना हो । अपीलांट ने मियाद बाहर अपील पेश की है तथा मियाद को कन्डोन करने का कोई उचित कारण भी अंकित नहीं किया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री उचित है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1972 पेज 155, आर.आर.डी. 1970 पेज 21, आर.टी. एक्ट सैक्शन 53, सी.पी.सी. 1976 पेज 97, ए.आई.आर. 1998 पेज 2276, आर.आर.टी. 2010 पेज 801, आर.एल.आर. 1996 पेज 714 एवं आर.आर.डी. 2007 पेज 311 पेश की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.8.2017 का अवलोकन किया तथा उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहत अदालत द्वारा प्रारम्भिक डिक्री उपभयपक्षों की ओर से राजीनामा पेश किये जाने पर जारी की गयी है । कुरे रिपोर्ट भी प्राप्त हो गयी और मुताबिक राजीनामा ही डिक्री जारी की गयी है । यह भी सही है कि प्रारम्भिक डिक्री पेश की है जो मियाद बाहर भी है । मियाद के बिन्दू पर अपीलांट अभिभाषक की बहस उपरान्त डिले कन्डोन किया जाता है परन्तु फाईनल डिक्री जो राजीनामा से है, में ऐसा नहीं पाया गया है जिससे कि अपील में खारिज किया जावें । इसलिए अपीलांट की अपील खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.08.2017 यथावत रखी जाती है । खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/6/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अंपील प्राधिकारी,
अलवर